

**विद्युत लोकपाल**  
**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
**पंचम तल, “मेट्रो प्लाजा”, बिट्टन मार्केट, अरेचा कालोनी, भोपाल**

**प्रकरण क्रमांक L00-04/2024**

**श्री प्रदीप गुप्ता,**  
98, प्रिंस कॉलोनी, ईदगाह हिल्स,  
भोपाल (म.प्र.) 462001.

— **आवेदक**

**उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग (उत्तर),**  
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
रॉयल मार्केट, भोपाल (म.प्र.)

— **अनावेदक**

**आदेश**

(दिनांक 18.04.2024 को पारित)

आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता उपस्थित हुए।

अनावेदक की ओर से श्री समीर शर्मा डी.जी.एम उत्तर संभाग भोपाल एंव श्री आर.के.राजानी ऑफिस  
अस्टेंट भोपाल उपस्थित हुए।

01. आवेदक — श्री प्रदीप गुप्ता, 98, प्रिंस कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) ने विद्युत उपभोक्ता  
शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक बी.टी. 22 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 21.  
11.2023 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत विद्युत लोकपाल के पास यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रकरण में विद्युत लाईन तथा ट्रांसफार्मर को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने से संबंधित विवाद था। इस अभ्यावेदन को क्रमांक L00-04/2024 पर दिनांक 22.01.2024 को दर्ज किया गया।

02. **प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार हैं:-**

आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा यह अभ्यावेदन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा  
उपरोक्त प्रकरण (क्रमांक बी.टी./22/2023) में पारित आदेश दिनांक 21-11-2023, जिसमें फोरम  
द्वारा यह निर्णीत किया गया कि आवेदक विवादित विद्युत लाईन तथा ट्रांसफार्मर अन्य स्थान पर

स्थानान्तरण पर होने वाले वास्तविक व्यय का भुगतान कर लाईन तथा ट्रांसफार्मर शिपट करा सकते हैं, से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया।

03 आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपील के तथ्य निम्नानुसार हैं:-

- i. आवेदक के द्वारा एक आवेदन वृत्त स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, शहर वृत्त भोपाल के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसका एक प्लाट क्रमांक ऐ-67, इन्द्र विहार कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल में स्थित है, जिस प्लाट की सीमा पर अनावेदक द्वारा एक के.व्ही.ए का ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है, जिससे आवेदक को अपना मकान बनाने में कठिनाई हो रही है तथा निवास करने पर ट्रांसफार्मर नहीं हटने से कभी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में आवेदक तथा आवेदक के परिवार को जानमाल का नुकसान होगा। अतः उसके प्लाट से नियमानुसार सुरक्षित दूरी पर ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाए। 50
- ii. आवेदक के उक्त आवेदन पर वृत्त स्तरीय फोरम द्वारा समुचित कार्यवाही न किए जाने पर आवेदक द्वारा उसकी अपील विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल (कंपनी स्तरीय फोरम या अधीनस्थ फोरम) के समक्ष प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक बी.टी. 22/2023 पर पंजीकृत हुई।
- iii. प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधीनस्थ फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया कि वह आवेदक के साथ स्थल निरीक्षण कर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर आगामी सुनवाई को वस्तुस्थिति स्पष्ट करे।
- iv. अनावेदक द्वारा दिनांक 05-10-2023 को अधीनस्थ फोरम के समक्ष उपस्थित होकर लिखित कथन प्रस्तुत किया कि दिनांक 1-9-2023 को दिए गए निर्देशानुसार उसके द्वारा आवेदक के साथ मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा यह भी अभिवचनित किया कि जिस डी.पी को आवेदक अन्य स्थान पर शिपट करना चाहता है, उसका अनुमानित व्यय रु. 6.70 लाख है, जिसका व्यय आवेदक वहन करने हेतु तैयार होता है, तो उस सम्बन्ध में ट्रांसफार्मर शिपिटिंग की कार्यवाही उच्चदाब रखरखाव संभाग द्वारा की जा सकती है।
- v. अधीनस्थ फोरम द्वारा उक्त रु. 6.70 लाख के व्यय के सम्बन्ध में अनावेदक से पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया और यह कहते हुए टाल दिया गया कि उक्त कार्य उच्चदाब रखरखाव संभाग द्वारा किया जाना है। अधीनस्थ फोरम द्वारा अनावेदक से यह भी पूछा जाने पर कि उक्त कॉलोनी में आवेदक के परिसर की बाउण्ड्री वॉल पहले बनी थी या बाद में तो उसका भी कोई संतोषजनक उत्तर/स्पष्टीरण प्रस्तुत नहीं किया और बाद में स्टॉफ से पूछकर बताने का कहते हुए टाल दिया और यह कहा गया कि प्रकरण काफी पुराना है एवं उस समय जो कर्मचारी थे, वे या तो सेवानिवृत्त हो गये हैं अथवा अन्यत्र स्थानान्तरित हो गये हैं और जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

- vi. सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा यह दर्शाया गया था कि जो कथित ट्रांसफार्मर लगाया गया है, उससे पंचवटी कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिस पर आवेदक, द्वारा दर्शाया गया कि जब उक्त ट्रांसफार्मर पंचवटी कॉलोनी में विद्युत सप्लाई हेतु लगाया गया है तथा उक्त ट्रांसफार्मर से पंचवटी कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति की जा रही है, तो उक्त ट्रांसफार्मर पंचवटी कॉलोनी में ही लगाया जाना चाहिए था, अतः अनावेदक स्वयं उक्त ट्रांसफार्मर को अपने व्यय पर अन्यत्र शिफ्ट करे। इस पर अधीनस्थ फोरम द्वारा आवेदक को यह निर्देशित किया गया है कि आवेदक सोसायटी द्वारा विद्युतीकरण हेतु जो प्लान बनाया गया है, उसका नक्शा प्रस्तुत करे।
- vii. प्रकरण के लंबनकाल में अधीनस्थ फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया था कि आवेदक के परिसर की बाउण्ड्रीवॉल पहले थी या विद्युतीकरण हेतु खड़ी की गयी 11 के.व्ही.ए लाईन पहले बनी थी ? तो उस सम्बन्ध में अनावेदक द्वारा गोलमाल एंव अस्पष्ट उत्तर दिया कि इन्द्र विहार कॉलोनी के विद्युतीकरण के कार्य के बाद में इन्द्र विहार जोन अस्तित्व में आया है, जिसके संबंध में कोई रिकॉर्ड इन्द्र विहार जोन के पास उपलब्ध नहीं है।
- viii. आवेदक द्वारा अधीनस्थ फोरम के समक्ष इन्द्र विहार कॉलोनी, भोपाल में विद्युतीकरण किए जाने के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित जानकारी संबंधित गृह निर्माण समिति से प्राप्त कर प्रस्तुत की, जिसके अनुसार सम्बन्धित तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित द्वारा चार्जिंग करने हेतु दिए गए आवेदन की प्रति भी प्रस्तुत की जिसके अनुसार दिनांक 06–08–2005 को चार्जिंग का आवेदन दिया जाना प्रमाणित है, जबकि आवेदक के प्लाट की रजिस्ट्री दिनांक 07–02–2003 की है तथा आवेदक के प्लाट का साईज 135.87 वर्गमीटर है एवं बाउण्ड्रीवॉल दिनांक 07–02–2003 की है। आवेदक को सोसायटी के पोल तथा ट्रांसफार्मर की प्राप्त जानकारी अनुसार कॉलोनी में स्थापित ट्रांसफार्मर कॉलोनी के पार्क के खुले स्थान पर स्थापित है, जबकि आवेदक के प्लाट के, नजदीक एकमात्र कथित ट्रांसफार्मर स्थापित है, जिससे अन्य रहवासी कॉलोनी, पंचवटी कॉलोनी में विद्युत प्रदाय की जाती है, जबकि जिस कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, उसी कॉलोनी की भूमि पर ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाता, न कि आवेदक के प्लाट की सीमा पर।
- ix. उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि आवेदक के प्लाट की सीमा पर जो ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, वह ट्रांसफार्मर आवेदक के प्लाट क्रय करने के लगभग 3 वर्ष से अधिक की अवधि के उपरांत स्थापित किया गया है तथा उक्त ट्रांसफार्मर से अन्य पंचवटी कॉलोनी को विद्युत सप्लाई की जाती है। ऐसी दशा में ट्रांसफार्मर को आवेदक के प्लाट से दूर किसी अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने की जिम्मेदारी स्वयं अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी की ही है, और उसके लिए आवेदक को किसी भी दृष्टिकोण से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और न ही उससे ट्रांसफार्मर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने हेतु व्यय की मांग की जा सकती है।

- x. इस प्रकार आवेदक द्वारा अपना समुचित पक्ष प्रस्तुत कर दिए जाने के बावजूद अधीनस्थ फोरम द्वारा आवेदक द्वारा अपना समुचित पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना कहते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए आवेदक का आवेदन यह कहते हुए निरस्त किया जाना कि आवेदक अन्य स्थान पर वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित करना चाहता है तो स्थानान्तरण पर लिए जाने वाले वास्तविक व्यय का भुगतान कर लाईन तथा ट्रांसफॉर्मर शिफ्ट करा सकता है, न्यायोचित आदेश नहीं कहा जा सकता है।

अतः उक्त आदेश से क्षुब्ध एंव असंतुष्ट होकर आवेदक अन्य आधारों सहित निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है:-

#### **04. फोरम के आदेश से आवेदक के असंतुष्ट/क्षुब्ध होने के निम्न आधार हैं:-**

- (i) अधीनस्थ फोरम द्वारा पारित किया गया आदेश प्राकृतिक एंव नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के घोर विपरीत होने के साथ-साथ सी.ई.ए के मापदण्डों तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के घोर विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
- (ii) अधीनस्थ फोरम का आदेश प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की विधिसम्मत विवेचना किए बिना सरसरी तौर पर अनावेदक का पक्ष लेते हुए इस मानसिकता से पारित किया गया है कि आवेदन तो निरस्त किया ही जाना है, जिस कारण भी अधीनस्थ फोरम का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
- (iii) अधीनस्थ फोरम प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की सी.ई.ए के मापदण्डों एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधिक रूप से विवेचना कर आदेश पारित करने में असफल रहा है, जिस कारण अधीनस्थ फोरम को आदेश प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिवचनों के सर्वथा विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
- (iv) अधीनस्थ फोरम का आदेश देखने एवं पढ़ने मात्र से ही एक बोलता हुआ आदेश प्रतीत नहीं होने से एक न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है, जिस कारण भी अधीनस्थ फोरम का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
- (v) अधीनस्थ फोरम द्वारा यह नहीं देखा कि आवेदक द्वारा अपना प्लाट कॉलोनी में विद्युतीकरण का कार्य किए जाने के पूर्व ही पंजीकृत विक्रय-पत्र के द्वारा क्रय किया गया था तथा क्रय दिनाँक 7-2-2003 से ही उसका पुर्णस्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप स्वामित्व चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी का कर्तव्य था कि वह आवेदक के प्लाट की सीमा पर कथित ट्रांसफॉर्मर को स्थापित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करता तथा आवेदक को सुने जाने के उपरांत ही उक्त ट्रांसफॉर्मर की स्थापना करता, जो नहीं किया गया है। चूंकि अनावेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह विदित हो कि अनावेदक ने आवेदक

को उक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने के पूर्व कोई सूचना दी गई हो अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया हो। इस कारण भी आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

- (vi) अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशित किए जाने के बावजूद उसके द्वारा इन्द्र विहार कॉलोनी में विद्युतीकरण कराए जाने सम्बन्धी कोई अभिलेख एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए कि किस ठेकेदार द्वारा उक्त कॉलोनी का विद्युतीकरण का कार्य किया गया तथा कब उक्त विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। क्योंकि सर्वविदित है कि कॉलोनी का विद्युतीकरण का कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने ठेकेदार से कराया जाता है तथा उक्त कार्य के निष्पादन के पूर्व सम्बन्धित जोन द्वारा अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ कार्यालय/अधिकारियों सहित समग्र मौका निरीक्षण कराकर प्राक्कलन आदि तैयार कराया जाता है एवं यह निर्धारित किया जाता है कि कॉलोनी के विद्युतीकरण हेतु पोल कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे तथा ट्रांसफार्मर कहां स्थापित किया जावेगा। इन सभी औपचारिकताएं पूर्ण कराये जाने के पश्चात ही वांछित राशि संबंधित सोसायटी से जमा करायी जाकर उक्त कॉलोनी के विद्युतीकरण का कार्य संबंधित ठेकेदार से पूर्ण कराया जाता है और विद्युतीकरण का कार्य (पोल एवं ट्रांसफार्मर आदि) पूर्ण होने के पश्चात ही कॉलोनी में स्थापित ट्रांसफार्मर को चार्ज कराया जाकर विद्युत आपूर्ति की जाती है और सम्बन्धित उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चय ही अनावेदक द्वारा जो विद्युतीकरण का कार्य इन्द्र विहार कॉलोनी में संबंधित ठेकेदार से कराया गया है, वह समग्र औपचारीकताएं पूर्ण कराने के बाद वांछित राशि जमा कराकर उसके प्राधिकृत ठेकेदार से कराया गया है तब अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी की ही जिम्मेदारी थी कि यह सुनिश्चित करता कि जो ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा रहा है, वह किसी उपभोक्ता के प्लाट अथवा उसके समीप तो नहीं है, उससे संबंधित भूखण्डधारी के साम्पत्तिक हित तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जो कॉलोनी के विद्युतीकरण को कार्य करते समय अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नहीं किया गया है और मनमाने तौर पर ट्रांसफार्मर आवेदक के प्लाट की सीमा पर स्थापित कर दिया है, तो इसके लिए अनावेदक ही पूर्णतः उत्तरदायी एवं दोषी माना जावेगा, न कि आवेदक। अतः आवेदक से ट्रांसफार्मर स्थानान्तरित करने के व्यय की आवेदक से मांग करना पूर्णतः अनुचित है। इस कारण भी मान्य अधीनस्थ फोरम का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
- (vii) अधीनस्थ फोरम ने यह नहीं देखा कि अनावेदक द्वारा बार-बार निर्देशित किए जाने के बावजूद ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने संबंधी दस्तावेज मान्य अधीनस्थ फारेम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और जानबूझकर यह आधार लिया गया है कि उक्त इन्द्र विहार जोन का ट्रांसफार्मर स्थापित करने एवं इन्द्र विहार कॉलोनी के विद्युतीकरण के पश्चात अस्तित्व में आया है और उसके पास इन्द्र विहार कॉलोनी के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह भी अवैध आधार लिया गया कि तत्समय जो कर्मचारी थे, या तो वे सेवानिवृत्त हो गये हैं अथवा अन्यत्र स्थानान्तरित हो गये हैं। क्योंकि उक्त जानकारी अनावेदक से प्रस्तुत करायी जाना प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु

आवश्यक थी, क्योंकि उक्त दस्तावेजों/जानकारी से ही यह स्पष्ट हो सकता था कि किन-किन दस्तावेजों एवं अभिलेखों के आधार पर अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आवेदक के प्लाट की सीमा पर ट्रांसफार्मर की स्थापना की गयी है। इस कारण भी अनावेदक द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाना अनावेदक के विपरीत निष्कर्ष निकाले जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

- (viii) अनावेदक द्वारा अधीनस्थ फोरम के समक्ष यह अवैध कथन किया गया है कि कथित ट्रांसफार्मर अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने हेतु रु. 6.70 लाख रुपए का व्यय है, क्योंकि अनेकों अवसर दिए जाने के बावजूद अनावेदक द्वारा उक्त व्यय के सम्बन्ध में कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया है और बाद में टालते हुए यह कथन किया गया कि ट्रांसफार्मर के शिपिटंग का कार्य उच्चदाव रखरखाव संभाग से कराया जाना है। जबकि अनावेदक पर यह बंधनकारी था कि वह अधीनस्थ फोरम के समक्ष नियमानुसर कार्यवाही कर अधीनस्थ फोरम के समक्ष समुचित कार्यवाही कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करता कि ट्रांसफार्मर अन्यत्र स्थापित करने में कितना व्यय अनुमानित है, जो नहीं किया गया है। उससे यह ध्वनित होता है कि अनावेदक ऐन-केन-प्रकारेण कथन कर आवेदक के प्लाट की सीमा से ट्रांसफार्मर अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं कराना चाहता है। इस कारण भी अनावेदक के विरुद्ध विपरीत निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है।
- (ix) अधीनस्थ फोरम द्वारा अपीलाधीन आदेश में जिन सी.ई.ए के मापदण्डों का उल्लेख कर आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है, उक्त प्रावधान आवेदक के प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अनावेदक द्वारा कथित ट्रांसफार्मर स्थापित करते समय आवेदक को आपत्ति/पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया बल्कि अनावेदक द्वारा अपने ठेकेदार के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य करते हुए मनमाने रूप से ट्रांसफार्मर आवेदक के प्लाट की सीमा पर रख कर उससे अन्यत्र कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति की जाकर लाभ कमाया जा रहा है। इस कारण ट्रांसफार्मर अन्यत्र स्थापित करने हेतु आवेदक से व्यय की मांग की जाना न्यायोचित नहीं होने से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।
- (x) यदि आवेदक के प्लाट की सीमा पर स्थित ट्रांसफार्मर अन्यत्र शिपट नहीं किया गया तो आवेदक का उक्त प्लाट क्रय करने का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा तथा वह उक्त प्लाट पर मकान बनाकर रहने में असमर्थ हो जावेगा। अनावेदक या सम्बन्धित सोसायटी द्वारा अपने मनमर्जी से आवेदक के प्लाट की सीमा पर ट्रांसफार्मर स्थापित करा दिया है, तो उक्त ट्रांसफार्मर को स्थानान्तरित करने हेतु आवेदक से भारी राशि के व्यय की मांग करना न्यायोचित एवं न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आवेदक किसी भी रूपेण उत्तरदायी नहीं है। फिर भी, आवेदक माननीय महोदय प्रकरण के समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधि एवं सी.ई.ए के माप-दण्डों के अंतर्गत किसी किंचित राशि (न कि समग्र राशि) को जमा कराने हेतु आदेशित करती है, तो उसका पालन करने हेतु आवेदक तत्पर रहेगा।

**05. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :-**

आवेदक की अपील दोनों न्यायालयों के व्यय सहित स्वीकार करते हुए अनावेदक विद्युत कंपनी को निर्देशित करने की कृपा की जावे कि वह आवेदक के प्लाट क्रमांक ए-67, इन्द्र विहार कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल के सीमा पर रखे हुए 11 के.व्ही.ए ट्रांसफार्मर को अपने, व्यय पर अन्यत्र स्थानांतरित करें, जो न्यायहित में होगा।

**06. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा उक्त प्रकरण में उभय पक्षों के सुनने के पश्चात अपने अभिमत पर निर्णय निम्नानुसार दिया :-**

“प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा उभय पक्षों को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात् उनके द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों, निष्कर्षों, कथनों तथा दस्तावेजों के आधार पर तथा स्थापित विधि/विनियमों के प्रकाश में निम्न अनुसार निर्णय पारित किया जाता है” :-

- (i) आवेदक/उपभोक्ता अपील अस्वीकार की जाती है।
- (ii) तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या. भोपाल द्वारा इंद्रबिहार कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड भोपाल के विद्युतीकरण का कार्य ए श्रेणी विद्युत ठेकेदार के माध्यम से दिनांक 28.08.2001 व दिनांक 06.08.2005 के मध्य अवधि में पूर्ण कराया गया था। आवेदक द्वारा उक्त अवधि में तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या. भोपाल अथवा अनावेदक कार्यालय में उसके प्लाट क्र. ए-67 की सीमा के बाहर रोड पर स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापना के दौरान कोई भी आपत्ति नहीं की हैं तथा ना ही इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्लाट न. ए-67 की सीमा के बाहर स्थापित विद्युत लाईन तथा वितरण ट्रांसफार्मर से कॉलोनी के रहवासियों को विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। यदि आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता, प्लाट सीमा के बाहर रोड पर स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर को अन्य स्थान पर स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो वह म.प्र. राजपत्र दिनांक 31 मई 2022 में प्रकाशित विनियम म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोज्यक से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये के लिये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली (पुनरीक्षित-द्वितीय) विनियम 2022 आर.जी.-31 (II) वर्ष 2022 के अनुलग्नक एक: मापन एंव अन्य प्रभारों की अनुसुची (सह पठित विनियम 5.1) के खण्ड चार (ख) में दिये गये प्रावधानों के तहत विद्युत लाईन तथा सब-स्टेशन (वितरण ट्रांसफार्मर-पोल माउटेंड) को अन्य स्थान पर स्थानांतरण पर लिये जाने वाले वास्तविक व्यय का भुगतान कर लाईन तथा ट्रांसफार्मर शिपट करा सकता है।
- (iii) आवेदक की अपील निराकृत होकर आदेश पारित है।

07. इस प्रकरण क्रमांक **L00-04/2024** में लिखित नोटिस जारी करते हुए दिनाँक 15.02.2024, 19.03.2024 एवं 22.03.2024 को उभय पक्षों को पूर्णरूप से सुना गया जिसकी संक्षिप्त कार्यवाही निम्नानुसार है:-

- (i) दिनाँक 15.02.2024 की सुनवाई के दौरान आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा यह कथन किया कि उनके अभ्यावेदन में ऐसा लिखा गया है कि अनावेदक द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर उनकी सीमा के अन्दर लगा दिया गया है परन्तु सही स्थिति यह है कि विद्युत ट्रांसफार्मर उनके परिसर की सीमा के बाहर स्थापित है लेकिन उसके समीप लगाया गया है, जिसके कारण उनके परिसर के निर्माण में असुरक्षा एवं अवरोध हो सकता है।

आवेदक के अभ्यावेदन के पृष्ठ क्रमांक – 3 के पैरा 8 में यह कहा गया है कि उनके प्लाट की रजिस्ट्री और वाउण्ड्रीवॉल दोनों 07 फरवरी 2003 को हुई परन्तु सुनवाई के दौरान आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा बताया गया कि प्लाट की रजिस्ट्री और वाउण्ड्रीवॉल का निर्माण एक साथ नहीं हुआ। उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके प्लाट की वाउण्ड्रीवॉल कच्ची है जो कि विद्युत ट्रांसफार्मर रखने के पश्चात् खिंचवाई गई। आवेदक द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपना प्लाट तिलक गृह निर्माण सोसायटी से खरीदा है।

आवेदक को कहा गया कि वह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी0ई0ए0) के जिन निर्माण मानकों का संदर्भ दे रहे हैं उसकी प्रति अगली सुनवाई के पहले प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कथन के बावजूद पुनः आवेदक द्वारा सुनवाई के दौरान विद्युत ट्रांसफार्मर को उनके प्लाट की सीमा के अन्दर स्थापित होने का कथन किया गया जो कि उनके उपर्युक्त कथन के विपरीत है। फिर भी आवेदक के उक्त कथन की पुष्टि हेतु उनको कहा गया कि उनके प्लाट की सीमा के अन्दर विद्युत ट्रांसफार्मर रखने संबंधित कोई साक्ष्य जैसे किसी अधिकृत संस्था / प्राधिकरण / अर्थारिटी का दस्तावेज है तो अगली सुनवाई के पूर्व प्रस्तुत करें।

आवेदक द्वारा यह बताया गया कि तिलक गृह निर्माण सोसायटी जिसके वह फाउंडर सदस्य भी थे, उनके द्वारा कॉलोनी के विद्युतीकरण स्टीमेट इत्यादि दस्तावेज प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया गया, परन्तु तिलक गृह निर्माण सोसायटी ऐसे दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं करा पाई।

अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान प्रकरण से संबंधित मौखिक जानकारी दी गई, परन्तु प्रकरण से संबंधित लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अनावेदक द्वारा बताया गया कि इन्द्र विहार कालोनी का निर्माण तिलक गृह निर्माण सोसायटी द्वारा किया गया एवं तिलक गृह निर्माण सोसायटी के विद्युतीकरण का प्राक्कलन वर्ष 2002 में बना एवं तिलक गृह निर्माण सोसायटी द्वारा विद्युतीकरण का

कार्य वर्ष 2002 से 2005 तक पूर्ण कर विद्युत लाईन एवं विद्युत ट्रांसफार्मर को चार्जिंग कर तिलक गृह निर्माण सोसायटी को वर्ष 2005 में सौंपा गया।

अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि तिलक गृह निर्माण सोसायटी के विद्युतीकरण के प्राक्कलन के पूर्व अनावेदक के अधिकृत प्रतिनिधियों एवं तिलक गृह निर्माण सोसायटी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कर विद्युतीकरण का प्रस्ताव बनाया गया एवं उसका नक्शा तिलक गृह निर्माण सोसायटी को सौंपा गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इन सभी के उपरान्त भी न ही नक्शे पर और न ही विद्युतीकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा या सोसायटी के किसी प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति लगाई गई।

अनावेदक को निर्देशित किया कि तिलक गृह निर्माण सोसायटी विद्युतीकरण का प्राक्कलन एवं चार्जिंग इत्यादि के दस्तावेज दिनांक 26.02.2024 तक जमा करें और अपने प्रत्युत्तर में यह भी स्पष्ट करें कि वह विद्युत ट्रांसफार्मर जिस पर आवेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन में आपत्ति ली गई हैं उससे किस-किस को विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

उभय पक्षों की आपसी सहमति से आगामी सुनवाई दिनांक 04.03.2024 को नियत की गई। जिसे किन्ही अपरिहार्य कारणों से दिनांक 19.03.2024 को नियत किया गया।

- (ii) **दिनांक 19.03.2024 की सुनवाई के दौरान आवेदक किसी कारणवश अनुपस्थित रहे।** अनावेदक से जो जानकारी एवं दस्तावेज चाहे गए थे वे उनके द्वारा अपने प्रत्युत्तर दिनांक 28.02.2024 में प्रस्तुत किए गए, जिन्हें रिकार्ड में लिया गया। अनावेदक को यह निर्देशित किया गया कि अपने प्रत्युत्तर दिनांक 28.02.2024 की एक प्रति आवेदक को अविलंब उपलब्ध कराए। प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 22.03.2024 को नियत की गई।
- (iii) **दिनांक 22.03.2024 की सुनवाई के दौरान अनावेदक ने यह कथन किया कि उन्होंने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 28.02.2024 की प्रति आवेदक को दिनांक 19.03.2024 को उपलब्ध करा दी है, जिस पर आवेदक द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई।**

अनावेदक ने अपने अतिरिक्त प्रत्युत्तर दिनांक 21.03.2024 के द्वारा पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में विवादित ट्रांसफार्मर 200 के.वी.ए. क्षमता का है न कि 50 के.वी.ए. का।

आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा सुनवाई के दौरान निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए :—

- I. तिलक गृह निर्माण सोसायटी के अन्तर्गत इन्द्र विहार कॉलोनी के प्रस्तावित विस्तार हेतु संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश भोपाल द्वारा स्वीकृत नक्शे की प्रतिलिपि।

- II. आवेदक के प्लाट क्रमांक 67 सेक्टर ए इन्ड्र विहार कॉलोनी (तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित भोपाल) के विक्रय पत्र के पृष्ठ क्रमांक 2 एवं 3 की प्रतिलिपि।
- III. विवादित ट्रांसफार्मर के रंगीन फोटो प्रति।
- IV. सहायक यंत्री नगर निगम भोपाल द्वारा आवेदक के प्लाट क्रमांक 67 सेक्टर ए तिलक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल में प्रस्तावित भवन निर्माण के स्वीकृत नक्शे की प्रतिलिपि।
- V. आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदक द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल से प्राप्त मैटेनेन्स मेन्युअल की प्रतिलिपि जिसमें सी.ई.ए. की कुछ अधिसूचनाओं का संक्षिप्त वर्णन है।
- VI. एक पत्र दिनांक 30.12.2020 जो की/तत्कालीन विद्युत लोकपाल द्वारा आवेदक की शिकायत पर उन्हें संबंधित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त उनके प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है और न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है। अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

#### **08. सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक द्वारा कथनों का सारांश निम्नानुसार है :-**

##### **(अ) आवेदक के कथन :-**

- (i) आवेदक द्वारा यह कथन किया की उन्होंने अपना प्लाट तिलक गृह निर्माण सोसायटी से क्रय किया है।
- (ii) आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा अपने अभ्यावदेन में लिखित कथन को सुधारते हुए यह कहा गया की विवादित विद्युत ट्रांसफार्मर उनके प्लाट क्रमांक ए-67, इन्ड्र विहार कॉलोनी की सीमा के बाहर है, परन्तु प्लाट के समीप स्थापित किया गया है, जिसके कारण उनको प्लाट पर निर्माण कार्य करने में असुरक्षा एवं अवरोध हो सकता है।
- (iii) आवेदक के लिखित अभ्यावेदन के पृष्ठ क्रमांक – 3 के पैरा 8 में यह लेख है कि उनके प्लाट की रजिस्ट्री और वाउण्ड्रीवॉल दोनों 07 फरवरी 2003 को हुई परन्तु सुनवाई के दौरान आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा बताया गया कि प्लाट की रजिस्ट्री और वाउण्ड्रीवॉल का निर्माण एक साथ नहीं हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि उनके प्लाट की वाउण्ड्रीवॉल कच्ची है, जो कि विद्युत ट्रांसफार्मर रखने के पश्चात् खिंचवाई गई एवं ट्रांसफार्मर वाउण्ड्रीवॉल के बाहर है।
- (iv) आवेदक द्वारा यह कथन किया की विवादित ट्रांसफार्मर से सिर्फ पंचवटी कॉलोनी को विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। उनके उक्त कथन अनुसार विवादित ट्रांसफार्मर से उनकी कॉलोनी (इन्ड्र विहार)

के किसी भी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है फिर भी विवादित ट्रांसफार्मर उनके प्लाट के पास इन्द्र विहार कॉलोनी में स्थापित है।

- (v) आवेदक द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा तिलक गृह निर्माण सोसाइटी जिसके बहु फांडर सदस्य भी थे, से संपर्क कर कॉलोनी के विद्युतीकरण से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु सोसायटी ऐसा कोई दस्तावेज उनको उपलब्ध नहीं करा पाई।
- (vi) आवेदक द्वारा ये भी कथन किया कि अधिनस्थ फोरम के निर्देश पर आवेदक और अनावेदक द्वारा विवादित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसके उपरान्त अनावेदक ने फोरम के समक्ष यह कथन किया कि विवादित ट्रांसफार्मर को यदि आवेदक अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कराना चाहता है, तो आवेदक को अनुमानित रु. 6.70 लाख वहन करना होगा।
- (vii) आवेदक ने यह आरोप लगाया कि फोरम द्वारा अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशित किये जाने के पश्चात् भी उसके द्वारा इन्द्र विहार कॉलोनी में विद्युतीकरण कराए जाने सम्बन्धी कोई अभिलेख एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए कि किस ठेकेदार द्वारा उक्त कॉलोनी का विद्युतीकरण का कार्य किया गया तथा कब उक्त विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। आवेदक द्वारा यह भी कथन किया कि कॉलोनी का विद्युतीकरण का कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने ठेकेदार से कराया जाता है तथा उक्त कार्य के निष्पादन के पूर्व सम्बन्धित जोन द्वारा अनोवदक विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ कार्यालय/अधिकारियों सहित समग्र मौका निरीक्षण कराकर प्राक्कलन आदि तैयार कराया जाता है एवं यह निर्धारित किया जाता है कि कॉलोनी के विद्युतीकरण हेतु पोल कहां—कहां स्थापित किये जायेंगे तथा ट्रान्सफार्मर कहां स्थापित किया जावेगा।
- (viii) आवेदक द्वारा उनके अभ्यावेदन में अपील के जो आधार बताए गये हैं उसमें पैरा क्रमांक 9 में यह कथन किया है कि अधीनस्थ फोरम द्वारा अपीलाधीन आदेश में जिन सी.ई.ए के माप—दंण्डों को उल्लेख कर आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है, उक्त प्रावधान आवेदक के प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अनावेदक द्वारा कथित ट्रान्सफार्मर स्थापित करते समय आवेदक को अपत्ति/पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया गया है।
- (ix) आवेदक द्वारा उनके अभ्यावेदन में पृष्ठ क्रमांक 7 के पैरा 10 के अन्दर यह भी कथन किया गया है कि यदि इस प्रकरण में आवेदक को समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधि एंव सी.ई.ए के माप—दंण्डों के अंतर्गत किसी किंचित राशि (न कि समग्र राशि) को जमा कराने हेतु आदेशित किया जाता है तो आवेदक तत्पर रहेगा।
- (x) आवेदक द्वारा दिनांक 22.03.2024 को सुनवाई के दौरान कुछ दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिन्हें इस आदेश के पैरा 7(iii) में लिया गया है।

(ब) अनावेदक के कथन :-

अनावेदक के द्वारा अपने लिखित प्रतिउत्तर दिनांक 28.02.2024 एवं 21.03.2024 में यह कथन किया कि आवेदक द्वारा शिकायत की भलीभांति जाँच पड़ताल कर तथा स्थल निरीक्षण करने के उपरांत अनावेदक का कथन निम्नानुसार है:-

- (i) श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा जिस ट्रांसफार्मर को हटाने से संबंधित शिकायत की गयी है, वह जोन कार्यालय के प्रारंभ होने के पूर्व से ही अर्थात लगभग 20 वर्ष पूर्व से ही वहां पर स्थापित है।
- (ii) इन्द्र विहार कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, भोपाल द्वारा कराया गया है। तत्कालीन समय में उक्त सोसायटी से संबंधित कार्य बैरागढ़ जोन कार्यालय द्वारा संपादित किया गया था।
- (iii) उक्त कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण के कार्य हेतु तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, भोपाल द्वारा दिनांक 23.07.2001 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
- (iv) आवेदन उपरांत तत्कालिक प्रबंधक बैरागढ़ जोन एवं आवेदक प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर डायग्राम तैयार कर विजिबिल्टी के साथ बैरागढ़ जोन द्वारा प्रस्तुत किया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण में विद्युत लाईन कहां से कैसे लायी जावेगी तथा ट्रांसफार्मर कहां पर कितनी क्षमता के लगाये जावेंगे आदि विवरण का समावेश था। तदोपरांत प्राक्कलन क्रमांक.48—000—3245—01—0094 दिनांक 25.10.2001 को स्वीकृत किया गया। प्राक्कलन स्वीकृत उपरांत राशि रु.18,45,689/- जमा किये जाने के उपरांत बाह्य विद्युतीकरण का कार्य आरंभ किया गया। प्राक्कलन की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।
- (v) उक्त कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य तिलक सोसायटी द्वारा पर्यवेक्षण योजना के तहत 'अ' श्रेणी के विद्युत ठेकेदार श्री सोहेल मुस्तफा से पूर्ण कराया गया था।
- (vi) दिनांक 06.08.2005 को बाह्य विद्युतीकरण के कार्य की वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात दिनांक 06.09.2005 को अनावेदक द्वारा कॉलोनी को चार्जिंग की अनुमति प्रदान कर दी गयी थी।
- (vii) कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण से लेकर चार्ज होने के लगभग 5 वर्ष की अवधि के दौरान तथा फरवरी-2021 तक उक्त कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण से संबंधित कार्य पर किसी व्यक्ति एवं शिकायतकर्ता, श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा कोई आपत्ति या विरोध दर्ज नहीं कराया गया।
- (viii) लगभग 20 वर्षों उपरांत श्री प्रदीप गुप्ता जी द्वारा उक्त कालोनी के रोड पर रखे गये ट्रांसफार्मर पर आपत्ति दर्ज काराया जाना उचित प्रतीत नहीं होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये कंपनी के व्यय पर 20 वर्ष पूर्व स्थापित ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करवाना चाहते हैं जो कि न्यायसंगत नहीं है।
- (ix) श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में सर्वप्रथम दिनांक 13.03.2023 को ट्रांसफार्मर को हटाने हेतु आवेदन दिया गया।

- (x) दिनांक 19.05.2023 को श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता फोरम शहर वृत्त भोपाल में दिये गये आवेदन पर सुनवाई की गयी तथा दिनांक 02.08.2023 को फोरम ने अपना निर्णय पारित कर लेख किया है कि ट्रांसफार्मर कालोनी विकसित करने के समय कॉलोनाईजर द्वारा रखवाया गया है जो कि प्लाट की सीमा से बाहर है। अतः विद्युत वितरण कंपनी इस ट्रांसफार्मर को शिफ्ट नहीं करा सकती। श्री प्रदीप गुप्ता यदि इस ट्रांसफार्मर को शिफ्ट कराना चाहते हैं तो वर्तमान नियमों के अनुसार शिफ्टिंग का आवेदन देकर एस्टीमेट बनवाकर नियमानुसार शिफ्टिंग की कार्यवाही कर सकते हैं।
- (xi) तदोपरांत श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा उक्त संबंध में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम चांदबढ़, भोपाल में अपील दर्ज करायी गयी। फोरम द्वारा उक्त प्रकरण विस्तार से कार्यवाही करते हुए तथा दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत अपने सात पृष्ठ के आदेश में शिकायतकर्ता की अपील को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या. भोपाल द्वारा इन्द्र विहार कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड भोपाल के विद्युतीकरण का कार्य ए श्रेणी के विद्युत ठेकेदार के माध्यम से दिनांक 28.08.2001 व दिनांक 06.08.2005 के मध्य अवधि में पूर्ण कराया गया था। आवेदक द्वारा उक्त अवधि में तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या. भोपाल अथवा अनावेदक कार्यालय में उसके प्लाट क्रमांक ए-67 की सीमा के बाहर रोड पर विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापन के दौरान कोई भी आपत्ति नहीं की है अथवा न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। फोरम के आदेश की छायाप्रति आपके अवलोकनार्थ सादर संलग्न है।
- (xii) उक्त स्थापित ट्रांसफार्मर से वर्तमान में कुल 61 घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई की जा रही है, जिनमें 39 घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ता इन्द्रविहार कॉलोनी के तथा 22 घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ता पंचवटी कॉलोनी के हैं।  
अतः अनावेदक के अभिमत को स्वीकर करते हुए श्री प्रदीप गुप्ता जी द्वारा कंपनी के व्यय पर ट्रांसफार्मर को हटाने संबंधी दिये गये आवेदन को निरस्त करने की कृपा करें।
- (xiii) अनावेदक द्वारा अपने अतिरिक्त प्रतिउत्तर दिनांक 21.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि विवादित ट्रान्सफार्मर जिसको आवेदक द्वारा हटाने हेतु शिकायत की गयी है, वह ट्रांसफार्मर 200 के क्षी. ए. का है।
- (xiv) दिनांक 15.02.2024 की सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देश के परिपालन में अनावेदक द्वारा तिलक गृह निर्माण सोसाइटी के आवेदन पर इन्द्र विहार कॉलोनी (ग्राम सिंघार चोली भोपाल) में 1279 घरेलू प्लाट हेतु बाह्य विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत प्राकलन क्रमांक 48-000-3245-01-0094 जो कि तत्कालीन मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा दिनांक 25.10.2001 को स्वीकृत किया गया है, कि प्रतिलिपि प्रतिउत्तर के साथ प्रेषित की गई। अध्यक्ष तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा

उक्त प्राकलन के संदर्भ में जमा की गई राशि की पावती भी अनावेदक ने प्रतिउत्तर के साथ प्रेषित की।

09. इस प्रकरण में अभिलेखों पर उपलब्ध एवं सुनवाई के दौरान प्राप्त निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए :—
- I. तिलक गृह निर्माण सोसायटी के अन्तर्गत इन्द्र विहार कॉलोनी के प्रस्तावित विस्तार हेतु संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश भोपाल द्वारा स्वीकृत नक्शे की प्रतिलिपि ।
  - II. आवेदक के प्लॉट क्रमांक 67 सेक्टर ए इन्द्र विहार कॉलोनी (तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित भोपाल) के विक्रय पत्र के पृष्ठ क्रमांक 2 एवं 3 की प्रतिलिपि ।
  - III. विवादित ट्रांसफार्मर के रंगीन फोटो प्रति ।
  - IV. सहायक यंत्री नगर निगम भोपाल द्वारा आवेदक के प्लॉट क्रमांक 67 सेक्टर ए तिलक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल में प्रस्तावित भवन निर्माण के स्वीकृत नक्शे की प्रतिलिपि ।
  - V. आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदक द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल से प्राप्त मेंटेनेन्स मेन्युअल की प्रतिलिपि जिसमें सी.ई.ए. की कुछ अधिसूचनाओं का संक्षिप्त वर्णन हैं ।
  - VI. एक पत्र दिनांक 30.12.2020 जो की तत्कालीन विद्युत लोकपाल द्वारा इस प्रकरण में आवेदक की शिकायत पर आवेदक को संबंधित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया ।
  - VII. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत इन्द्र विहार कॉलोनी (ग्राम सिंघार चोली भोपाल) में 1279 घरेलू प्लाट हेतु बाह्य विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत प्राकलन क्रमांक 48-000-3245-01-0094 जो कि तत्कालीन मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा दिनांक 25.10.2001 को स्वीकृत किया तथा अध्यक्ष तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा उक्त प्राकलन के संदर्भ में जमा की गई राशि की पावती जो कि अनावेदक द्वारा अपने प्रतिउत्तर के साथ प्रेषित की गई ।
  - VIII. इन्द्र विहार कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण हेतु स्थापित विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर की अनावेदक द्वारा दिनांक 06.09.2005 को चार्जिंग अनुमति ।
10. आवेदक और अनावेदक द्वारा कथनों के परीक्षण एवं अभ्यावेदन तथा उभयपक्षों से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर निम्न बिंदु स्पष्ट होते हैं :—
- i. आवेदक के अनुसार इस प्रकरण में विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर का आवेदक के प्लाट क्रमांक ए-67, इन्द्र विहार कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड भोपाल की सीमा के अन्दर स्थापित किये जाने से संबंधित विवाद है ।

- ii. आवेदक उक्त प्लाट क्रमांक ए-67, इन्द्र विहार कालोनी के विद्युत उपभोक्ता नहीं हैं । आवेदक ने उक्त प्लाट तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था से क्रय किया था एवं इस प्लाट की रजिस्ट्री दिनाँक 07.02.2003 को हुई थी । इसके पश्चात प्लाट पर आवेदक द्वारा कच्ची वाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराया गया ।
- iii. इन्द्र विहार कॉलोनी जिसमें आवेदक का प्लाट स्थित है के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा कराया गया है । उक्त बाह्य विद्युतीकरण के कार्य हेतु तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा अनावेदक (तत्कालीन म.प्र. विद्युत मण्डल) को दिनाँक 23.07.2001 को आवेदन प्रस्तुत किया जिसके पश्चात् तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित भोपाल एवं तत्कालीन म.प्र. विद्युत मण्डल के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण कर विद्युत लाईनों एवं ट्रांसफार्मरों की स्थापना के प्रस्ताव के साथ रेखा चित्र (लाईन डाइग्राम) तैयार किया गया । संयुक्त निरीक्षण में यह भी सुनिश्चित किया गया कि विद्युत लाईन कहाँ से और कैसे लाई जाये तथा कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर कहाँ-कहाँ लगाए जाये । तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या. एवं तत्कालीन म.प्र. विद्युत मण्डल के संयुक्त निरीक्षण द्वारा लाइन एवं ट्रांसफार्मरों की स्थापना हेतु विभिन्न स्थानों को चिह्नित किया गया ।
- iv. इन्द्र विहार कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण के लिए संयुक्त निरीक्षण के आधार पर प्राक्कलन तैयार कर अनावेदक द्वारा प्राक्कलन क्रमांक 48-000-3245-01-0094 दिनाँक 25.10.2001 को स्वीकृत किया गया । प्राक्कलन स्वीकृती उपरांत राशि रु.18,45,689/- तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित सोसायटी द्वारा जमा की गई एवं बाह्य विद्युतीकरण का कार्य पर्यवेक्षण योजना के अंतर्गत तिलक गृह निर्माण सोसायटी द्वारा विद्युत ठेकेदार से पूर्ण कराया गया ।
- v. इन्द्र विहार कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित सोसायटी द्वारा 06.08.2005 को विद्युत ठेकेदार द्वारा पूर्ण करा कर वर्क कम्पलीशन रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक को प्रषित की गई । जिसके आधार पर इन्द्र विहार कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण हेतु स्थापित विद्युत लाईनों एवं ट्रांसफार्मरों को चार्ज करने हेतु अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिनाँक 06.09.2005 को अनुमति प्रदान की गई ।
- v. इन्द्र विहार कॉलोनी (जिसमें आवेदक का प्लाट है) के बाह्य विद्युतीकरण हेतु तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित सोसायटी को विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मरों की स्थापना करवाने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा परन्तु इस दौरान आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता या उनके किसी भी प्रतिनिधि द्वारा विवादित ट्रांसफार्मर के स्थापना स्थल को लेकर कोई भी आपत्ति या विरोध नहीं किया गया । अनावेदक के कथन अनुसार आवेदक द्वारा विवादित ट्रांसफार्मर को हटाने हेतु प्रथम आवेदन उक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं उर्जित (चार्जिंग) के लगभग 18 साल बाद दिनाँक 13 मार्च 2023 को आनवेदक के कार्यालय में दिया । आवेदक के अनुसार प्रथम आवेदन उनके द्वारा 15 वर्ष बाद दिसम्बर 2020 में प्रस्तुत किया गया था ।

- vi. प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र के अनुसार “इन्द्र विहार कॉलोनी” का विकास (development) तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित सोसायटी द्वारा किया गया है। इसलिए इन्द्र विहार कॉलोनी का बाह्य विद्युतीकरण का कार्य तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित सोसायटी द्वारा पर्यवेक्षण योजना के अंतर्गत कराया गया। जब बाह्य विद्युतीकरण का कार्य उक्त संस्था (तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित सोसायटी) द्वारा कराया गया एवं जिससे आवेदक द्वारा प्लाट क्रय किया गया, ऐसी स्थिति में विद्युत लाईन और ट्रांसफार्मरों की स्थापना हेतु विभिन्न स्थलों के चयन की जबाबदारी मूल रूप से तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित सोसायटी की है।
- vii. सुनवाई के दौरान आवेदक एंव अनावेदक दोनों के कथनों के अनुसार विवादित ट्रांसफार्मर आवेदक के प्लाट के अन्दर स्थापित नहीं हैं, बल्कि उसके प्लाट की सीमा जिसको उसने वाउण्ड्रीवॉल से घेर रखा है उसके समीप रोड पर स्थित है।
- viii. अनावेदक द्वारा प्रेषित अपने प्रतिउत्तर दिनांक 28.02.2024 में यह स्पष्ट किया गया है कि विवादित ट्रांसफार्मर से वर्तमान में 61 उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय किया जा रहा है **जिसमें 39 उपभोक्ता “इन्द्र विहार कॉलोनी” के हैं।**
- ix. आवेदक ने अपना अभ्यावेदन में ये आरोप लगाया है कि फोरम के निर्देशित किए जाने के बाद भी अनावेदक द्वारा इन्द्र विहार कॉलोनी का विद्युतीकरण कार्य से संबंधित कोई अभिलेख एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आवेदक के उपरोक्त आरोप को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई के दौरान अनावेदक को निर्देशित कर उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जिन्हें अनावेदक द्वारा अपने प्रतिउत्तर दिनांक 28.02.2024 के साथ प्रस्तुत किए। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इन्द्र विहार कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण के कार्य हेतु तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्थान मर्यादित सोसायटी के आवेदन पर अनावेदक तत्कालिक म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा प्राक्कलन दिनांक 25.10.2001 को स्वीकृत किया गया एवं बाह्य विद्युतीकरण का कार्य अगस्त 2005 में तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित सोसायटी द्वारा विद्युत ठेकेदार से पूर्ण कराया गया एंव कार्य की चार्जिंग अनुमति दिनांक 06.09.2005 को अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी गई।
- x. दिनांक 15.02.2024 की सुनवाई के दौरान आवेदक से अधिकृत संस्था/प्राधिकरण/अर्थोरिटी से प्राप्त वह दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया जिससे वे यह प्रमाणित कर सकें की विवादित ट्रांसफार्मर उसके प्लाट की सीमा के अन्दर स्थापित है। प्रकरण की अंतिम सुनवाई दिनांक 22.03.2024 तक आवेदक ऐसे किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल रहे। आवेदक द्वारा विवादित ट्रांसफार्मर के रंगीन छाया चित्र से यह दिखाई देता है कि उक्त ट्रांसफार्मर उनके प्लाट की वाउण्ड्रीवॉल के बाहर रोड पर स्थापित है।
- xi. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्लाट का विक्रय पत्र के केवल दो पृष्ठों की प्रति के अवलोकन पर केवल प्लाट क्रमांक एवं उसका क्षेत्रफल (135.87 वर्गमीटर) विदित होता है जो इस प्रकरण में अविवादित

है। आवेदक अन्य दस्तावेज जिनमें तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित सोसायटी के अन्तर्गत इन्द्र विहार कॉलोनी के प्रस्तावित विस्तार हेतु संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश भोपाल द्वारा स्वीकृत नक्शे की प्रतिलिपि, सहायक यंत्री नगर निगम भोपाल द्वारा आवेदक के प्लाट क्रमांक 67 सेक्टर ए तिलक सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित सोसायटी भोपाल में प्रस्तावित भवन निर्माण के स्वीकृत नक्शे की प्रतिलिपि एवं आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल से प्राप्त मेंटेनेन्स मेन्युअल की प्रतिलिपि जिसमें सी.ई.ए की कुछ अधिसूचनाओं का संक्षिप्त वर्णन है प्रस्तुत किये गये। उपरोक्त दस्तावेज इस प्रकरण में अप्रसांगिक है।

- xii. आवेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन में सी.ई.ए के मापदण्डों का पालन नहीं होने का कथन किया है एवं अनावेदक से प्राप्त सी.ई.ए. की कुछ अधिसूचनाओं का संक्षिप्त विवरण की प्रतिलिपि भी दी, परन्तु आवेदक किसी भी साक्ष्य द्वारा उपरोक्त मानदण्डों का उल्लंघन होना स्पष्ट नहीं कर सके।
- xiii. इस प्रकरण के अभ्यावेदन में एवं फोरम के समक्ष विवादित ट्रांसफार्मर की क्षमता 50 के.व्ही.ए दर्शाई गई है जबकि कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण के प्राक्कलन एवं अनावेदक द्वारा अपने लिखित प्रतिउत्तर दिनांक 21.03.2024 में इसकी क्षमता 200 के.व्ही.ए बताई गई है।

### निर्णय :

11. प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रथमतः विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता का इस प्रकरण से संबंधित प्लाट सेक्टर ए-61, इन्द्र विहार कालोनी में अनावेदक (विद्युत वितरण कम्पनी) से कोई विद्युत संयोजन नहीं होने के कारण वह विद्युत उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? उनके द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अपने अभ्यावेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में उपभोक्ता का पता 98, प्रिंस कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल लिखा है, जो कि उनके वर्तमान निवास का पता है, जबकि प्रकरण में विवाद आवेदक के उस भू-खण्ड का है जहां पर वह विद्युत उपभोक्ता नहीं है। अतः अभ्यावेदन के साथ परिशिष्ट-1 में दी गई उपभोक्ता से संबंधित जानकारी इस प्रकरण में अप्रासांगिक है एवं आवेदक श्री प्रदीप गुप्ता इस प्रकरण में उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं।
12. इस संबंध में माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के विनियम ‘‘मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021’’ विनियम की कण्डिका 2.4(डी), (ड.) तथा कण्डिका 2.4(डी) में उल्लेखित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2(15), जो निम्नानुसार उद्धृत है, का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया।

“मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2021” की कण्डिका 2.4(डी) एवं (ड.) निम्नानुसार है :-

#### **2.4 (डी) “शिकायत कर्ता” से अभिप्रेत है –**

- (i) अधिनियम की धारा 2 की कण्डिका (15) में परिभाषित उपभोक्ता; या
  - (ii) नवीन संयोजन हेतु एक आवेदनकर्ता; या
  - (iii) उपभोक्ताओं की कोई पंजीकृत संस्था; या
  - (iv) उपभोक्ताओं की कोई अपंजीकृत संस्था, जहाँ उपभोक्ताओं का एक-समान हित हो; या
  - (v) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसका वैध उत्तराधिकारी या प्रतिनिधिगण;
- (ड.) “शिकायत” से अभिप्रेत है किसी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के निराकरण के संबंध में दिया गया कोई अभ्यावेदन;

#### **उपभोक्ता की परिभाषा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2(15) में निम्नानुसार है :**

**2(15)** ‘उपभोक्ता’ से अभिप्रेत (ऐसा व्यक्ति – जिसको इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित (प्रवृत्त) किसी अन्य विधि के अधीन पब्लिक को विद्युत प्रदाय के कारोबार में लगे हुए लायसेन्सी (अनुज्ञाप्तिधारी) या सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपभोग के लिए विद्युत प्रदाय की जाती है और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें लायसेन्सी सरकार या यथास्थिति, अन्य व्यक्ति के कारोबार में जिसके परिसरों (गृह, भूमि) को तत्समय विद्युत प्राप्ति के लिए जोड़ा गया है;

उक्त वैधानिक प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से स्पष्ट है कि फोरम/विद्युत लोकपाल के समक्ष किसी परिसर जिससे संदर्भित विवाद हेतु आवेदक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करना है, के लिए तत्समय आवेदक का वैधानिक रूप से उक्त परिसर का विद्युत उपभोक्ता होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा उक्त परिसर हेतु नवीन विद्युत संयोजन के लिए अनुज्ञाप्तिधारी को आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर भी वह माननीय मोप्रो विद्युत नियामक आयोग के उपरोक्त विनियम के अन्तर्गत शिकायतकर्ता माना जा सकेगा। परन्तु इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवेदक विद्युत उपभोक्ता नहीं है। अतः आवेदक की वैधानिक स्थिति शिकायतकर्ता की नहीं होने के कारण उनका आवेदन अधीनस्थ फोरमों के श्रवणाधिकार से बाहर पाया जाता है।

13. आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन में भी आवेदक की वैधानिक स्थिति उक्त आधार पर एक उपभोक्ता/शिकायतकर्ता की नहीं पाई जाने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत

अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रचलन हेतु योग्य न पाया जाकर विद्युत लोकपाल के भी क्षैत्राधिकार से बाहर पाया जाता है। इस आधार पर आवेदक का अभ्यावेदन निरस्त किए जाने का निर्णय लिया जाना न्यायोवित होगा।

14. आवेदक की अपील अस्वीकार की जाती है। इसके साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने—अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो। आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए।

(गजेन्द्र तिवारी)  
विद्युत लोकपाल